छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 02/2010/परीक्षा/दिनांक 30/04/2010

प्रकाशन की तिथि 05/05/2010 | **आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 11/06/2010**

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन के **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग** के अंतर्गत **मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग'** के रिक्त पदों, जिनका विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है, के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में वर्गवार विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद		योग
		अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**	19	05	07	05	06	01	02	01	02 (1–अना.) (1–अ.जा.)	–	36
02.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ग' **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**	19	06	08	05	06	02	02	01	02 (1–अना.) (1–अ.जा.)	03 (2–अना.) (1–अ.ज.जा.)	38
	योगः–	**38**	**11**	**15**	**10**	**12**	**03**	**04**	**02**	**04**	**03**	**74**

<u>नोट</u> :–

1. **पदों की संख्या परिवर्तनीय है।**
2. **विकलांगता के प्रकार :–** अस्थिबाधित विकलांग जिसमें चलन निशःक्तता (Locomotor Disability) ही मान्य होगा। **स्पष्टीकरणः–** विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षण के संबंध में उपरोक्तानुसार जो शर्त सम्मिलित किया गया है, वह राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार जारी किए गए अधिसूचना दिनांक 05.02.2010 के अधीन हैः–

   ''क्रमांक एफ–4–367/2004/18–निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 की संख्या 1) की धारा 33 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य नगर पालिका सेवा संवर्ग (कार्यपालन, स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी) के पदों को, उनके कार्य की मैदानी प्रकृति को देखते हुए, अधिनियम की धारा 33 में वर्णित निःशक्तता में से, चलन निःशक्तता के अलावा अन्य निःशक्तता के संबंध में धारा के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।''
3. केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
4. **रिक्तियों में आरक्षण :–**

4.1 उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के आवेदकों हेतु आरक्षित हैं।

4.2 छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के आवेदकों के अतिरिक्त अन्य सभी आवेदकों के तथा प्रदेश के बाहर के आवेदकों के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत होगा।

5. **परिवीक्षा अवधि :– चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।**

(2)– पद का विवरण एवं वेतनमान :–

A. <u>मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग–'ख':–</u>

(i) पद का नाम :– मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख'
(ii) सेवा श्रेणी :– अराजपत्रित–द्वितीय श्रेणी (कार्यपालिक)
(iii) वेतनमान रूपये :– 15600–39100+ग्रेड पे 5400/–

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

B. <u>मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग–'ग':–</u>

(i) पद का नाम :– मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ग'
(ii) सेवा श्रेणी :– अराजपत्रित–तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)
(iii) वेतनमान रूपये :– 9300–34800+ग्रेड पे 4300/–

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(3)– आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव :–

पद क्रमांक – 01 एवं 02 के लिए शैक्षणिक अर्हताएं निम्नलिखित हैः–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (अनिवार्य)
(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से,
(1) एम.बी.ए. (मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन)
(2) स्थानीय स्वशासन
(3) विधि

में उपाधि या पत्रोपाधि धारण करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्रमशः

महत्वपूर्ण नोटः–उपर्युक्त आवश्यक अर्हतायें आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व की होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की शैक्षणिक अर्हतायें मान्य नहीं होंगी। आवेदकों के द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भेजने के बाद उन्हें ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की कमी–पूर्ति का कोई अवसर आयोग द्वारा नहीं दिया जाएगा।

(4)– निर्धारित आयु सीमा :– दिनांक 01.01.2011 को 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक आयु न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी।

अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

4.1 सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूटें:–

4.1.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

4.1.2 छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी। **इस कंडिका के तहत छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अधिकतम आयु में छूट संबंधी अन्य कंडिकाओं के तहत कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।**

4.1.3 ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः–''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु **आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**

4.1.4 ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो।

4.1.5 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

4.1.6 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–2–/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

4.1.7 स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त (नान–कमीशंड) अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की **उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

4.1.8 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

4.1.9 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4.1.10 आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंर्तगत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक– सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4.1.11 राज्य में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण टीपः– (1) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 16.09.2008 के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पैरा 3(अ) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, परन्तु यह भी कि उक्त परिपत्र के पैरा 3(द) के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महत्वपूर्ण टीपः– (2) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2011 के संदर्भ में की जाएगी।

(5)– आवेदन शुल्क एवं ओ.एम.आर. आवेदन पत्रों की उपलब्धता :–

(अ) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं तथा जो आरक्षण एवं आयुसीमा में देय छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, के लिये ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र का मूल्य **रूपये 300/–(रूपये तीन सौ)** होगा एवं शेष सभी श्रेणी (जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के वे अभ्यर्थी भी आते हैं जो जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आयुसीमा में छूट एवं आरक्षण का लाभ न लेना चाहे) के एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिये ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र का मूल्य **रूपये 400/– (रूपये चार सौ)** होगा।

(ब) ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित डाकघरों में विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगाः–

क्रमशः

क्र.	जिले का नाम	प्रधान / मुख्य डाकघर	उपडाकघर
1.	रायपुर	रायपुर	रायपुर गंज / आर.एस.यू / शंकर नगर / कचहरी / भाटापारा
2.	धमतरी	धमतरी	–
3.	महासंमुद	महासंमुद	–
4.	दुर्ग	दुर्ग	सिविक सेंटर भिलाई / दल्ली–राजहरा भिलाई सेक्टर–1 / बालोद
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	डोंगरगढ़
6.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	–
7.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर आर.एस. / कोनी
8.	कोरबा	कोरबा	जमनीपाली
9.	जॉजगीर	जॉजगीर	–
10.	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़ / खरसिया
11.	सरगुजा	अंबिकापुर	सूरजपुर
12.	जशपुर	जशपुरनगर	पत्थलगाँव
13.	कोरिया	बैंकुंठपुर	मनेन्द्रगढ़
14.	बस्तर	जगदलपुर	कोंडागाँव
15.	कांकेर	कांकेर	भानुप्रतापपुर
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	–
17.	नारायणपुर	नारायणपुर	–
18.	बीजापुर	बीजापुर	–

(6)– ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र के संबंध में :–

6.1 प्रत्येक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पर दाएं छोर में ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र क्रमांक (बार कोड) अंकित होता है, जो संबंधित आवेदक के आवेदन के लिए विशिष्ट पहचान चिन्ह है। अतः इसके साथ कोई छेड़–छाड़ न करें एवं ओ.एम.आर. **आवेदन पत्र पूरी तरह भर लेने के पश्चात् उसकी फोटो कॉपी करवाकर आवेदक अपने रिफरेंस के लिए सुरक्षित रख लें।**

6.2 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उपरोक्त डाकघरों में दिनांक 07.05.2010 से दिनांक 10.06.2010 के शाम 5.00 बजे तक विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगा।

6.3 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र अंतिम तिथि 11.06.2010 के शाम 5.00 बजे तक इस विज्ञापन में उल्लेखित डाक घरों में ही जमा करें। डाक घर में विलंब से जमा किये गये ओ.एम.आर. आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

6.4 किसी भी स्थिति में आयोग को सीधे ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र न भेजें, क्योंकि आवेदकों द्वारा आयोग को सीधे भेजे गए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जा सकते हैं, अतएव उक्त स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

6.5 आवेदक विज्ञापन में उल्लेखित पदों के लिए एक ही ओ.एम.आर. आवेदन पत्र डाक घर में जमा करें। किसी आवेदक से एक से अधिक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किये जा सकते हैं।

6.6 यदि आवेदक विधि, स्थानीय स्वशासन तथा एम.बी.ए. है, तो ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अतिरिक्त योग्यतायें के सामने के गोलों ○ को काले बॉल–पॉइन्ट पेन से भरें।

(7)– आवेदन कैसे करें :–

7.1. आवेदकों की सुविधा हेतु ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ भरे हुए आवेदन पत्र का नमूना भी दिया गया है। अतः आवेदक उनकी सुविधा के लिये ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र भरने हेतु जो निर्देश ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र के साथ दिए गए हैं, को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन–पत्र को भरें।

7.2 संख्या लिखने में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें।

7.3 आवेदक अपने रंगीन फोटो जिसका बैकग्राउंड सफेद हो तथा जिसके निचले हिस्से पर आवेदक का नाम एवं ओ. एम.आर. फार्म क्रमांक छपा हो, की तीन प्रतियां बनवा लें क्योंकि इस परीक्षा के विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाले फोटो में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। फोटो तथा घोषणा के नीचे दिये खानों में आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्यतः करें। हस्ताक्षर न होने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा।

7.4 जो ओ.एम.आर. आवेदन पत्र अधूरे या गलत भरे हुए होंगे उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं इस संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक "निर्देश" पढ़कर ही ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र भरें।

7.5 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रमाण पत्र की मूल अथवा छायाप्रति या अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाए। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से संबंधित दस्तावेज साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के पूर्व लिए जाएंगे।

7.6 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर, नेम प्लेट व ओ.एम.आर. नंबर सहित खिंचवाये गए रंगीन (कलर्ड) फोटो चिपकायें। फोटो को स्टेपल या पिन न किया जाये।

7.7 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को न तो मोड़ा जाए और न ही उसमें कोई दस्तावेज स्टेपल की जाए अथवा पिन लगाई जाए।

7.8 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के चौखाने □ में चाही गई जानकारी काले बॉल–पॉइन्ट पेन से भरी जाए एवं गोलों ○ को काला करने के लिए भी काले बॉल पॉइन्ट पेन का प्रयोग किया जाए। चौखाने में अभ्यर्थी अपने नाम तथा पिता के नाम की जानकारी भरते समय केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर तथा अंतर्राष्ट्रीय अंक का प्रयोग करें। एक चौखाने में केवल एक अक्षर या एक अंक ही लिखा जाए, दो शब्दों के बीच में एक चौखाना खाली छोड़ें। आवेदन पत्र के कालम 05, 06 एवं 07 के चौखाने में हिन्दी में जानकारी दें। अन्य चौखाने में आवेदन पत्र में अंकित निर्देश अनुसार भरें।

7.8.1 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की संवीक्षा कम्प्यूटराईज्ड स्कैनिंग के आधार पर होती है। स्कैनिंग में काले किए गए गोले को ही पढ़ा जाता है। अतः ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के गोले में की गई प्रविष्टि ही मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा चौखाने □ में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में उसके नीचे के एक से अधिक गोलों ○ को काला किया गया हो अथवा अपवादिक रुप से कोई गोले काले करने से रह गए हों तब उक्त स्थिति में चौखाने में की गई प्रविष्टि पर आयोग द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया जा सकता है।

(8)– आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने पर साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना :–

आवेदक को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने पर उसे आयोग कार्यालय में उपस्थित होने पर निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

क्रमशः

8.1 आयु संबंधी प्रमाण के लिए समान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र।

8.2 हायर सेकेण्डरी स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची/प्रमाण पत्र।

8.3 विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता अर्थात् स्नातक उपाधि से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

8.4 विधि/एम.बी.ए./स्थानीय स्वशासन उपाधि का प्रमाण पत्र (यदि आवेदक उक्त अर्हता विज्ञापन की शर्तों के अनुरुप धारण करता है तथा ओ.एम.आर. आवेदन में प्रविष्टि किया है तो)

8.5 जाति प्रमाण पत्र :–

8.5.1 यदि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ क्लेम करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में राज्य शासन के प्राधिकृत अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

8.5.2 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को राज्य विभाजन के पूर्व बने हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का पुनर्वैधीकरण कराना अनिवार्य है अर्थात् ऐसे आवेदकों को छत्तीसगढ़ शासन के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण–पत्र पुनः बनवाकर प्रस्तुत करना होगा।

8.5.3 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला आवेदकों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

8.5.4 यदि आवेदक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र (जो आवेदन करने की तिथि को वैध हो) के आधार पर ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में जानकारी देता है तो उक्त आधार पर आवेदक को लिखित परीक्षा में बैठने/शामिल होने की प्रावधिक अनुमति दी जाएगी **परंतु ऐसे आवेदक को साक्षात्कार में बुलाने पर उसे साक्षात्कार के समय छत्तीसगढ़ राज्य के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदक को अनर्ह करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।**

8.5.5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल <u>''गैर क्रीमीलेयर''</u> के आधार पर ही देय है। गैर क्रिमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है तथा सामान्यतया आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये मान्य होता है। अतः पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व का है तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन करने की तिथि के 3 वर्ष के भीतर का जारी किया हुआ हो।

8.6 यदि निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में छूट चाही गई है तो साक्षात्कार के पूर्व निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:–

8.6.1 तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

8.6.2 विज्ञापन की कंडिका – 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, एवं 4.1.7 के अंर्तगत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

8.6.3 विज्ञापन की कंडिका– 4.1.8 के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

8.6.4 विज्ञापन की कंडिका– 4.1.9 के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ग्रीनकार्ड।

8.6.5 विज्ञापन की कंडिका– 4.1.10 के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

8.6.6 विज्ञापन की कंडिका–4.1.11 के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिए ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराज प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

<u>उपरोक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर ही साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के संबंध में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं दस्तावेजों के अभाव में आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा एवं आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।</u>

8.7 डाकघर से ओ.एम.आर. आवेदन पत्र क्रय करने हेतु दी गई रसीद की मूल प्रति।

(9) –आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन के अनुसार वे सभी आवश्यक अर्हताएं एवं आयु सीमा की शर्तें पूर्ण करते हैं तथा आश्वस्त हो लें कि आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ विज्ञापन के अनुसार सही सही भरी गई है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे विज्ञापन में निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। आयोग द्वारा किसी आवेदक को परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। आवेदक को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने पर उसके द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का उनके द्वारा धारित मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा, तत्पश्चात् ही साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त करते हुए उसकी उम्मीदवारी/चयन निरस्त किया जा सकता है।

(10)–आयोग के वेब–साईट ***www.psc.cg.gov.in*** में विज्ञापन, संबंधित निर्देश, पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं अन्य जानकारी आदि देखा जा सकता है।

क्रमशः

(11)–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के आवेदकों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न सुविधाएं केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये ही लागू होंगी। अन्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा।

टीपः–1. समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपना स्थायी जाति प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) का बनाकर तैयार रखें। साक्षात्कार के पूर्व उक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (Self Attested) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) का उपर्युक्तानुसार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आयोग द्वारा रियायत देना संभव नहीं होगा और ऐसे आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

टीपः–2. अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जिनके जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि से 03 वर्ष के पूर्व के होंगे उन्हें अपने गैर क्रीमीलेयर में होने के प्रमाण स्वरुप जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने की तिथि के 03 वर्ष के भीतर जारी किया गया आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(12)–आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, ओ.एम.आर. क्रमांक तथा अनुक्रमांक, जन्म तिथि, परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए।

(13)–आवेदक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में ''आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा'' के पश्चात् तथा स्वयं के फोटो के नीचे निर्देशानुसार हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा ओ.एम. आर. आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

(14)–विज्ञापन में दर्शित अन्तिम तिथि तथा समय के भीतर आवेदन पत्र किसी भी चिन्हित डाकघरों में जमा करने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। डाकघर में विलंब से जमा किए गए अथवा आयोग कार्यालय को सीधे भेजे गए या आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त ओ.एम.आर. आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे तथा ऐसे आवेदक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अर्जित नहीं करेंगे।

(15)–नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

15.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे अपने ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र डाकघर में जमा कर सकते हैं, परन्तु इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियोक्ता प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को **''अनापत्ति प्रमाण–पत्र''** सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन करना चाहिए तथा प्रस्तुत आवेदन की पावती प्राप्त कर मांगे जाने पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उसे अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।

15.2 यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियोक्ता प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियोक्ता प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

15.3 यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(16)–अपराधिक अभियोजन :–

16.1 ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो–

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
2. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
5. चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
6. परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
7. परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
8. परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
9. प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में उम्मीदवारों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर) जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
11. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

16.2 उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों के विरूद्ध अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

1. आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या
2. उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

2.1 आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

2.2 राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया

क्रमशः

जा सकेगा, और

2.3 यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

2.3.1 उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

2.3.2 उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(17)–पहचान चिन्ह :–

उत्तर–पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर–पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर–पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। लिखने के लिए केवल काले बॉल पॉइन्ट पेन का प्रयोग करें। उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर यह पहचान चिन्ह बनाना माना जाएगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(18)–आवेदकों की अर्हता के निर्धारण हेतु ओ.एम.आर. आवेदन पत्रों की संवीक्षा :– आवेदकों की अर्हता के निर्धारण हेतु ओ.एम.आर. आवेदन पत्रों की प्रारंभिक संवीक्षा निम्नानुसार की जाती है :–

18.1 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर न होने/निर्देशानुसार फोटोग्राफ न होने/अपूर्ण भरे जाने/आवेदन पत्र कोरे होने/निर्धारित समय सीमा के बाद की तिथि में प्राप्त होने/आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण/भ्रम पूर्ण जानकारी दिए जाने आदि–आदि के आधार पर प्रथम दृष्टया आवेदन पत्र निरस्त किए जाने अथवा प्रावधिक आधार पर स्वीकृत किए जाने के बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता हैं जिसकी सूचना आवेदक को दिया जाना अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

18.2 ओ.एम.आर. आवेदन पत्रों की स्कैनिंग की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को गन्दा किए जाने, खराब किए जाने अथवा अवांछित स्थानों पर किसी प्रकार के निशान बनाने या लिखने पर ओ.एम.आर. मशीन द्वारा संबंधित आवेदन की स्कैनिंग नहीं की जा सकेगी। वांछित खानों □ के न भरे जाने तथा संबंधित वृत्तों ○ को सही तरीके से काला न किए जाने पर ओ.एम.आर. मशीन द्वारा एकत्र की गई जानकारियों के आधार पर यदि अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा, एवं आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(19)–चयन प्रक्रिया :–

19.1 आयोग द्वारा परिशिष्ट–1 में संलग्न परीक्षा योजना के अनुसार लिखित परीक्षा ली जाएगी।

19.2 मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग' के लिए एम.बी.ए., स्थानीय स्वशासन एवं विधि में उपाधि या पत्रोपाधि रखने वाले आवेदकों को अधिमान्यता दी जाएगी। इनमें से किसी एक, दो या तीन में उपाधि या पत्रोपाधि रखने वाले आवेदकों को अधिमान्यता के अधिकतम 03 अंक दिए जाऐंगे।

19.3 लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर विज्ञापित कुल पदों के लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को प्रावधिक रुप से साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा एवं साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों की अर्हता की संवीक्षा उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। संवीक्षा उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थी का लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं विधि, स्वशासन एवं एम.बी.ए. वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित अंक जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार एवं अतिरिक्त योग्यतायें के लिए प्राप्त अंकों के मेरिट क्रम में पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' तत्पश्चात् मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ग' के लिए चयन किया जाएगा।

19.4 लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) एवं परीक्षा योजना, परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

(20) आवेदक के आवेदन पत्र को चयन के किसी भी प्रक्रम पर आयोग द्वारा निरस्त किए जाने का अधिकारः–

20.1 आयोग को यह अधिकार है कि किसी आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने/प्रस्तुत अभिलेखों में विसंगति पाये जाने/न्यूनतम आवश्यक अर्हतायें नहीं पाए जाने पर चयन के प्रक्रम के किसी भी स्टेज पर अर्थात् आवेदक के आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने से लेकर आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु योग्य पाये गये उम्मीदवार की चयन सूची तैयार करने एवं शासन के संबंधित विभाग की ओर अनुशंसा भेजने के पूर्व आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त कर सकता है।

20.2 आयोग द्वारा चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् भी यदि आयोग के संज्ञान में उपरोक्तानुसार तथ्य आता है, तो भी आयोग द्वारा संबंधित आवेदक की नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा कभी भी निरस्त की जा सकती है।

20.3 उपर्युक्त के अतिरिक्त आयोग के द्वारा चयन सूची के साथ नियोक्ता अधिकारी को भेजे गए अभिलेख के शासन स्तर पर परीक्षण के उपरांत आवेदक को अनर्ह पाया जाता है तो राज्य शासन के संबंधित विभाग द्वारा चयनित आवेदक को नियुक्ति न देने अथवा यदि नियुक्ति आदेश जारी कर दिये हैं तो ऐसे नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने का निर्णय लिया जा सकताहै।

20.4 उपरोक्तानुसार की जाने वाली/की गई कार्यवाही आवेदक के द्वारा दी गई असत्य/अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर होती है, अतएव इसके लिए आयोग/शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

20.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त भी आयोग के द्वारा की गई सद्भावनापूर्वक कार्यवाही अथवा मानवीय चूक से त्रुटि परिलक्षित हो तो इस प्रकार सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही/चूक के लिए आयोग के कर्मचारियों के विरूद्ध कोई वाद संस्थित नहीं होगा।

(21)–परीक्षा केन्द्र :–

लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र एवं कोड निम्नानुसार होगाः–

परीक्षा केन्द्र	कोड
अंबिकापुर	**A**

बिलासपुर	**B**
जगदलपुर	**J**
रायपुर	**R**

(22)–लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की सूचना :–

22.1 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की सूचना आयोग द्वारा पर्याप्त समय पूर्व डाक से भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त लिखित परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की जानकारी आयोग की वेबसाइट ***www.psc.cg.gov.in*** पर भी दी जाती है। यदि किसी आवेदक को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो आवेदक स्वयं आयोग कार्यालय से संपर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है अथवा आयोग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकता है।

22.2 आवेदक को भेजे गए प्रवेश पत्र/सूचना पत्र से संबंधित डाक आवेदक को समय पर प्राप्त न होने अथवा विलंब से डाक प्राप्त होने के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीपः– 1. आयोग के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं हैं अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :–2. लिखित परीक्षा के प्रश्न मुद्रण में त्रुटि, उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित की जा सकती है, जो परीक्षा तिथि के 15 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जानी चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(23)–यात्रा व्यय का भुगतान :–

23.1 छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का आवेदक हो, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करने पर ही उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

23.2 साक्षात्कार के लिये– साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के आवेदकों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 23.1 में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(24)–अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी –

24.1 प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र के पीछे प्रकाशित निर्देशों के अनुसार ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पर दिये सभी खानों में सहीं जानकारी भरें, एवं विशेष रुप से गोले को काला करने में अत्यंत सावधानी बरतते हुए जानकारी दें।

24.2 यदि आवेदक के द्वारा आयोग को भ्रमित करने के उद्देश्य से कोई अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है, तो आयोग इसे गंभीरता से लेता है एवं उक्त स्थिति में आवेदक का आवेदन निरस्त करते हुए उन्हें अनर्ह किए जाने के अतिरिक्त अन्य कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

24.3 त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन को, आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

24.4 आयोग द्वारा आवेदक की उम्मीदवारी को समाप्त करने का निर्णय लेने पर किसी प्रकार की लिखित सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

24.5 मूल ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदक द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आवेदक का मूल आवेदन ही विचार योग्य होगा। इस प्रकार यदि मूल ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

(25)–विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा आवेदक पर बंधनकारी होगा।

(26)–आयोग द्वारा विज्ञापनों व चयन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न जानकारी आवेदकों के हितार्थ समय–समय पर आयोग की वेब–साईट ***www.psc.cg.gov.in*** में दी जाती है। अतः आवेदकों को चाहिए कि आयोग की वेब–साईट के सम्पर्क में रहकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

हस्ता/–
सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

नोट :– छ.ग. लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंधित है।

''परिशिष्ट–एक''
राज्य नगर पालिका सेवा परीक्षा–2010

''मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग' हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम''

(1) परीक्षा में दो प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा कुल अंक 100 होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि 2 घंटे की होगी।

(2) प्रथम प्रश्नपत्र ''सामान्य अध्ययन'' एवं द्वितीय प्रश्नपत्र ''छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय'' पर आधारित होगा।

प्रथम–प्रश्नपत्र
''सामान्य अध्ययन''

1. **भारतीय संस्कृति स्वरूप एवं विशेषताएं** – इसके अंतर्गत भारत में स्थित विभिन्न सांस्कृतिक–धार्मिक समूहों की मूल्य व्यवस्था पर आधारित जानकारी अपेक्षित है।
   सिन्धु घाटी की सभ्यता – नगर योजना एवं आर्किटेक्चर– मोहन जोदाड़ों, अड़प्पा चनहुन्दारों, कालीबंगन, लोथन, सुरकोताडा,
2. **19 वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत का इतिहास** – इसके अंतर्गत 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत नरमपंथ एवं गरमपंथ समूह, क्रांतिकारी, जनजातीय, कृषक एवं अहिंसात्मक आंदोलनों पर आधारित प्रश्न होंगे।
3. **राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं** – राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम के अंतर्गत गठबंधनीय शासन व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, दबाव समूह तथा क्षेत्रीय उग्रवाद एवं पृथक्तावादी आंदोलन तथा नक्सलवाद। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकलध्रुवीय व्यवस्था का विश्व राजनीति पर प्रभाव तथा वैश्वीकरण का विकासशील देशों की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव का ज्ञान अपेक्षित है।
4. **भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था** – इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताएं, बहुदलीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणाली, केन्द्रीयकृत नौकरशाही व्यवस्था एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीयकरण पर आधारित प्रश्न होंगे।
   छत्तीसगढ में स्थानीय प्रशासन
   शहरी स्थानीय शासन – 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात् प्रारूप, संरचना एवं समस्यायें। छत्तीसगढ़ में प्रमुख शहरी विकास कार्यक्रम।
5. **भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं** – आर्थिक नियोजन, औद्योगीकरण, विदेशी पूंजी निवेश तथा इनका रोजगार के अवसर एवं श्रमिकों की स्थिति पर प्रभाव आदि की जानकारी अपेक्षित है।
6. **भारत का भूगोलः प्रमुख विशेषताएं** – इसके अंतर्गत भारत की भौतिक स्थिति, जलवायु, नदियों, समुद्र और पहाड़ों का मानव बसाहट एवं व्यवसाय पर प्रभाव से संबंधित ज्ञान आवश्यक है।
7. **भारत के विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका**– यातायात, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की जानकारी अपेक्षित है।
8. **भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका**– इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है।
9. **खेलकूद** – प्रमुख राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का स्थान पर आधारित प्रश्न होंगे।
10. **विज्ञान के सामान्य नियम, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत की प्रगति** – इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी पहलुओं की जानकारी अपेक्षित है।
11. **सूचना का अधिकार अधिनियम।**
12. **सूचना तकनीकी (टेक्नोलॉजी) का प्रशासन पर प्रभाव।**
13. **आपदा प्रबंधनः** – बाढ़, चक्रवात, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं।
14. **पर्यावरण प्रदूषणः**– वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण।
15. **ठोस अपशिष्ठ प्रबंधनः**– ठोस अपशिष्ठ के प्रकार, ठोस अपशिष्ठ के कारक।
16. **ठोस अपशिष्ठ का प्रभाव, पुनः चक्रीय करण एवं पुनः उपयोग।**
17. **योजना** – उद्देश्य एवं महत्व, योजनाओं (प्लान) के प्रकार, निर्णय शक्ति।
18. **प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य, प्रबंधन सूचना तंत्र।**
19. **लोक प्रशासन क्या है** – परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, निजी एवं लोक प्रशासन, प्रबंधन एवं प्रशासन।
20. **प्रशासनिक प्रक्रिया** – नियम निर्धारण और निर्णय, निर्माण, संचारण, नेतृत्व, निरीक्षण, नियंत्रण, प्रेरणा।
21. **प्रबंधन के कारक–बजट प्रक्रिया** – वैधानिक नियंत्रण, शासकीय नियंत्रण, न्यायालयीन नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण।
22. **जल (प्रदूषण निर्धारण एवं नियंत्रण अधिनियम) 1974.**
23. **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम – 1986.**
24. **छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता – 1959.**
25. **भारतीय दंड संहिता – 1860.**
26. **संपत्ति अंतरण अधिनियम – 1882.**

****

PAPER-I
"General Studies"

(1) **Indian Culture: Nature and Characteristics-** It will cover information regarding value system of different cultural religious groups existing in India.
Indus valley Civilization – city planning and architecture Jodado Mohan, Hdppa, Cnhundaro, Kalibangn, Lothan, Surkotada

(2) **Indian History from the middle of 19th Century till Independence-** Questions will be based on the Revolt of 1857, Moderates and Extremists in the Indian National congress, revolutionary, tribal, peasant and non-violent movements.

(3) **Current events of National and International importance** – It will cover information on the events of national importance like coalition government system, economic liberalization, pressure groups and regional extremism and separatist movements and Naxalism. In international field impact of unipolarsystem on world politique and impact of globalization on the socio-economic conditions of developing countries.

क्रमशः

(4) **Constitution of India, political system and Indian Administrative system-** Questions should be based on salient features of Indian constitution, multiparty and regional political systems and administrative decentralization.
Chhattisgarh Local administration .
urban local government after 74th constitutional Amendment Act draft structure and problems in the major urban development programs Chhattisgarh

(5) **Main Features of Indian Economy –** Information regarding economic planning, industrialization, investment of foreign capital and their impact on employment opportunities and condition of labour is expected.

(6) **Geography of India: Main features-** Elementary Knowledge about impact of India's physical features, climate, rivers, seas and mountains on human settlements and occupation is required.

(7) **The role of Science and Technology in the Development of India-** Information regarding India's achievements in the fields of transport, communication, information technology, computer and electronics media and space.

(8) **Indian Agriculture and its role in rural economy** – Candidates are expected to study Green Revolution, White Revolution, Mechanization of agriculture and animal husbandry and their effect on rural life.

(9) **Sports** – Questions shall be based on major national tournaments and India's place in international sports and games.

(10) **General Principles of science, important scientific inventions and progress of India in scientific field** – it will cover information on aspects stated above.

(11) **Right to Information Act**

(12) **Information Technology impact on the administration**

(13) **Disaster Management flood, cyclone, Tsunami etc. Natural Disasters**

(14) **Environmental pollution: -** air pollution, water pollution, soil pollution, Noise pollution

(15) **Solid concrete sanitary type sanitary management, solid sanitary factors,**

(16) **the impact of solid sanitary, recyclicaling and re-use**

(17) **Planning-** Significance, Object Types of plans, Decision Making, Planning and strategic Management

(18) **Controlling** – Information system, Management by Objectives (MBO), Management Information system (MIS)

(19) **What is Public Administration: -** Definitions, Nature and scope of Public Administration. Private and Public Administration. Management and Administration.

(20) **Administration process :-** Policy Formulation and Decision Making . Communication. Leadership and. Supervision and Controlling and motivation.

(21) **Management Aids** – Budgeting Process:- Legislative Control. Executive Control. Judicial Control. Public control. Internal Control.

(22) **Water (Prevention & Control of Pollution Act.) 1974.**

(23) **The Environment (Protection) Act. 1986**

(24) **C.G. Land Revenue Code. 1959**

(25) **Indian Penal code 1860.**

(26) **Transfer of Property Act 1882**

******

द्वितीय–प्रश्नपत्र
"छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय"

1. **भौगोलिक स्थिति –** छत्तीसगढ़ की सीमाएं तथा विस्तार, धरातलीय दशाएं, अपवाह, जलवायु एवं प्राकृतिक प्रदेश।
2. **मानव संसाधन :–** जिलावार जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, लिंगानुपात, धार्मिक, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समूह साक्षरता एवं शिक्षा, व्यावसायिक संरचना, श्रमिक प्रवास, जन्म एवं मृत्युदर, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या अनुपात तथा आर्थिक नियोजन
3. **प्राकृतिक संसाधन :–** खनिज, वन तथा वन्यजीवन, फसलों का क्षेत्रीय वितरण, कृषि का नियोजित विकास, हरित क्रांति पशुधन विकास, प्रमुख नदियां, बांध तथा सिंचाई विकास परियोजनाएं।
4. **उर्जा संसाधन :–** परम्परागत एवं गैरपरम्परागत।
5. **उद्योग :–** वृहद, मध्यम तथा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग।
6. **शिक्षा :–** विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी तथा चिकित्सा महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति।
7. **यातायात एंव संचार :–** रेल सड़क एवं वायु यातायात, रेडियो, टेलिफोन तथा मोबाईल सेवाएं।
8. **पर्यावरण एवं उसका संरक्षण :–**
9. **प्रशासनिक ढॉचा :–** राज्यपाल, विधान सभा, मंत्रिमंडल, जिला, तहसील, विकास खंड, पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन।
10. **खेलकूद**
11. **छत्तीसगढ़ का इतिहास एंव संस्कृति :–**

(1) प्राचीन इतिहास :– वैदिक काल से लेकर गुप्तकाल तक की स्थिति, प्रमुख राजवंश जैसे – राजर्षितुल्यकुल, नलवंश शरभपुरीय, पाण्डुवंश सोमवंश, नागवंश आदि।

(2) कलचुरि एवं मराठा काल :– प्रमुख कलचुरी शासक, कलचुरी प्रशासन प्रमुख मराठा प्रशासक, मराठा प्रशासन।

(3) स्वतंत्रता संग्राम :– 1857 का विद्रोह, राजनीतिक चेतना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण।

(4) प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल :– भोरमदेव, मल्हार, डीपाडीह, सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण, ताला, चित्रकोट, बारनवापारा, बारसूर आदि।

(5) भाषा एवं साहित्य :– छत्तीसगढ़ की विभिन्न बोलियां तथा उनके व्याकरणिक रूप, मौखिक एवं लिखित लोक साहित्य छत्तीसगढ़ साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार।

(6) संगीत एवं नृत्य :– लोक गायन की प्रमुख शैलियां, प्रमुख लोक नृत्य, आदिवासी नृत्य।

(7) मेले एवं तीज त्यौहार :–

(8) रूपंकर कला एवं रंगकर्म :– प्रमुख लोक नाट्य, लोक चित्रकला, आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार।

(9) छत्तीसगढ़ शासन की सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां :–साहित्य कला तथा संगीत के क्षेत्र में स्थापित विभिन्न संस्थाएं उपर्युक्त क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान, प्रमुख सांस्कृतिक समारोह।

(10) छत्तीसगढ़ की जनजातियां।

(11) छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था।

****

क्रमशः

PAPER-II
"General Introduction of Chhattisgarh"

(1) Geographical Location – Borders and extent of Chhattisgarh, physical features, drainage. Climate and natural regions.

(2) Human Resources – District wise distribution of population and density, sex ratio religious, scheduled caste and scheduled tribe groups, literacy and education, occupational structure, labour migration, birth and death rate, urban and rural population ratio, economic planning.

(3) Natural Resources – Minerals, forest and wild life. regional distribution of crops, planned development of agriculture, Green Revolution, development of livestock, major rivers, dams and irrigation projects.

(4) Energy Resources – Conventional and Non- Conventional.

(5) Industries – Large, Medium and Small industries, Cottage industries

(6) Education – Universities, Engineering and Medical Colleges, Technical institutions, Status of primary and secondary education .

(7) Transport and Communication – Railways, roads and air transport, Radio, Television Telephone and Mobile services.

(8) Environment and its protection.

(9) Administrative Structure – Governor, Legislative Assembly, Cabinet, District, Tahsil, Block Development, Panchayati Raj and urban Administration .

(10) Sports and Games.

(11) History and Culture of Chhattisgarh

(1) Ancient History – Condition of Chhattisgarh from Vedic age to Gupta period, Major dynasties like Rajarshitulyakula, Nala Dynasty, Sharabhpuriyas, Pandu Dynasty, Somavanshis etc.

(2) Kalchuri and Maratha Periods – Important Kalchuri kings, Kalchuri Administration, important Maratha Administrators, maratha Administration

(3) Freedom struggle – Revolt of 1857, Political consciousness,Non- Cooperation Movement, Quit India Movement, Attainment of independence and Formation of Chhattisgarh state.

(4) Major Archaeological and Tourist centers - Bhoramdev Malhar, Dipadih, Sirpur, Rajim, Shivrinarayan, Tala Chitrakot Barnawapara, Barasur etc.

(5) Language and Literature - Various dialects of Chhattisgarh and their grammatical forms, oral and written folk literature, Chhattisgarh literature and important literatures.

(6) Music and Dance – Major styles of folk music, Major folk dances, tribal dances .

(7) Fairs and festivals –

(8) Fine Arts and Theatre – major folk theaters, folk painting and important painters, modern painting and important painters.

(9) Activities of government of Chhattisgarh in the field of culture – Various institutions established in the field of literature, music and fine arts .Awards established by the Chhattisgarh Govt. in the above field . important cultural festivals.

(10) Tribes of Chhattisgarh.

(11) Three stages Panchayati Raj system in Chhattisgarh

******